

समाहरणालय मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
पत्रांक...../पं०

प्रेषक,

जिलाधिकारी-सह-
जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

सेवा में

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला (प्रखंड उदाकिशुनगंज को छोड़कर)।

मधेपुरा, दिनांक.../१४-६-१५/२०१५

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, २०१६ - गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष २०११ की जनसंख्या को विहित प्रपत्र-१ में प्रकाशन करने के संबंध में।
पसंग : इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक-४११, दिनांक-०४.०६.२०१५ एवं वेतार संवाद संख्या-४१३, दिनांक-०९.०६.२०१५

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-१०.०६.२०१५ को एक बैठक/कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें वर्ष २०११ की जनगणना के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या सहित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को प्रपत्र-१ में अंतिम रूप से दिनांक-११.०५.२०१५ तक प्रकाशित करते हुए जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद हेतु प्रपत्र-१ में प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेशित किया गया था।

लेकिन आजतक मात्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, बिहारीगंज, सिंहेश्वर एवं शंकरपुर से प्राप्त है तथा शेष प्रखंडों से अप्राप्त है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज, सिंहेश्वर एवं शंकरपुर से प्राप्त प्रपत्र-१ में त्रुटि पायी गयी है। प्रखंड मधेपुरा, घैलाढ, गम्हरिया, मुरलीगंज, कुमारखंड, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी से प्रपत्र -१ अप्राप्त है, जो अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः निदेश है कि दिनांक-२०.०६.२०१५ तक सभी पदों हेतु प्रपत्र-१ में प्रतिवेदन सी०डी० के साथ अनुभवी कर्मी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रपत्र-१ में पायी गयी त्रुटि का निराकरण जिला स्तर पर ही कराया जा सके। प्रपत्र-१ में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सारी जवाबदेही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

१०/२

जिलाधिकारी-सह-

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक.../५१४...../पं०, मधेपुरा, दिनांक.../१४-६-१५...../२०१५

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी-सह-

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।